

# आयालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन

सरकारी जरिये पटवारी हल्का.....रहमान की जमा..... बनाम

विप्राथी श्री.....सोफत शम्सुद्दीन नदी.....

वल्द.....जामील.....

जाति.....मुं..... निवासी.....अशरफाबाद.....

राजस्व मुकद्दमा नं. 220/24 /20..... निर्णय दिनांक.....7 11/24

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## आदेश

यह मामला पटवारी हल्का.....रहमान की जमा.....की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसके अनुसार अप्राथी ने सरकारी भूमि मौजा.....अशरफाबाद.....के ख. नं. 675/511 में रकबा.....7-00 बीघा किस्म.....क. 20 पर संवत् 2021 खरीफ में काश्त कब्जा पर अतिक्रमण किया है। अप्राथी को राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राथी से तामिल हो चुका हैं अप्राथी उपस्थित/अनुपस्थित।

अप्राथी ने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा कास्त करना स्वीकार किया/बावजूद नोटिस तामिल के अप्राथी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः अप्राथी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्राथी पर बतौर लगान / शास्ति के भूमि के वार्षिकलगान रूपये 0-21 का 50 गुणा रूपये.....11 अक्षरे.....जयराज राम आरोपित किये जाते हैं। भू.अ. निरीक्षक हल्का.....अशरफाबाद को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर / मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। जुर्माना / फसल नीलामी की वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 7 11/24 को सरे आम लिख कर सुनाया गया।

  
तहसीलदार चौहटन

  
तहसीलदार चौहटन